राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेड़कर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रासिंग के पास, जयपुर

प्रेस नोट

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रवृति योजनाओं में छात्रवृति पोर्टल माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है। योजनान्तर्गत आवेदन करने शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों को निम्न आवश्यक कार्य किया जाना अनिवार्य है :–

शिक्षण संस्थाओं हेतु किये जाने वाले कार्य :–

1. शिक्षण संस्थानों को जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध किया जा रहा है, जो शिक्षण संस्थान सूचीबद्ध नहीं हुए है कृपया संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों से संपर्क करे।
2. राज्य सरकार के दिशा–निर्देशानुसार शिक्षण संस्थाओं द्वारा उपयोग में ली जा रही बायोमैट्रिक मशीन का https://aadhaarauth.rajasthan.gov.in/Home/DeviceRegistration पर पंजीयन किया जाना है। विभागीय बेवसाईट पर बायोमैट्रिक मशीन पंजीयन किये जाने की गाईडलाईन देखी जा सकती है।
3. छात्रवृति पोर्टल पर शिक्षण संस्थानों द्वारा कोर्स मैंपिग एवं मान्यता/सम्बद्धता का अनुमोदन संबंधित विश्वविद्यालयों करवाया जाना अनिवार्य है।

विद्यार्थियों द्वारा किये जाने वाले कार्य :–

1. विभागीय छात्रवृति योजना में आवेदन किये जाने से पूर्व विद्यार्थी के लिए नेशनल स्कालरशिप पोर्टल की वेबसाईट https://scholarships.gov.in/otrapplication /#/login-page अथवा NSP OTR APP के माध्यम से OTR (One Time Registration) किया जाना होगा। OTR की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विद्यार्थी को "NSP OTR APP" एवं "AadharfaceRD" APP डाउनलोड कर e-KYC एवं Face Authentication किया जाना अनिवार्य है।
2. विद्यार्थी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी जन आधार पोर्टल पर अद्यतन करवाया जाना अनिवार्य है। जिसमें निम्न सूचना सही होना अनिवार्य है :–
   - I. जन आधार, आधार कार्ड एवं समस्त दस्तावेजो में विद्यार्थी की समस्त सूचनाएं समान होना अनिवार्य है।
   - II. जन आधार में अंकित सभी परिवारिक सदस्यों की आय अद्यतन होना।
   - III. जन आधार में विद्यार्थी की श्रेणी (APL/BPL), जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से अपलोड़ होना अनिवार्य है।
   - IV. विद्यार्थी द्वारा छात्रवृति आवेदन पत्र में Aadhaar seeded/DBT Enabled बैंक खाता ही अंकित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naseem Khan
Designation : Additional Director
Date: 2026.01.16 18:47:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 19982040
eSign 1.0

उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं से संबंधित केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन दिशा–निर्देश की विस्तृत जानकारी के लिए www.sjmsnew.rajasthan. gov.in/scholarship अथवा विभागीय बेब साइट sje.rajasthan.gov.in का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लेवें।

(नसीम खान)
अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृति)

क्रमांक : F 9(4)/AY2025-26/Sch/06732-6850525 PF1-7726223
दिनांक : यथा–ईहस्ताक्षरित

सहायक निदेशक (प्रचार),
मुख्यावास

Signature Not Verified

Digitally signed by Naseem Khan
Designation : Additional Director
Date: 2026.01.16 18:47:13 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19982040
eSign 1.0